

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/57  
मुकदमा नम्बर 06/2024

दर्ज दिनांक-19.01.2024

छोगाराम पुत्र भगवानाराम जाति रैवारी, निवासी वार्ड नं. 2 शिवनगर, भोजनगर, तहसील नवलगढ़ जिला  
झुझुनू

-आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री संदीप सैनी

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 01.04.2024


प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0ध10 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद मे भूमि खाता सं. नया 14 पुराना 142 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 354 रकबा 1.16 है0 ,खसरा नं. 357 रकबा 1.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छगनलाल पुत्र भगवाना की बजाय छोगाराम पुत्र भगवाना राम दुरुस्त किया जावे।

प्रा0 पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ की ओर से पैरा. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भूअ. 953 दिनांक 19/03/2024 पेश की जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे छगनलाल पुत्र भगवाना की बजाय छोगाराम पुत्र भगवाना राम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद मे भूमि खाता सं. नया 14 पुराना 142 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 354 रकबा 1.16 है0 ,खसरा नं. 357 रकबा 1.60 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम छगनलाल पुत्र भगवाना की बजाय छोगाराम पुत्र भगवाना राम दुरुस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। पृथक से तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(जय सिंह)RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू